तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5838/2004/टोंक** **देवलाल बनाम श्योनाथ**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री सुनील पारीक, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री वी.पी. सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः 10.07.2025

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–11–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 को खारिज किया गया है।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गई।

3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 बाबत ट्रांसपोज में वर्णित आधारों को सही तौर पर नहीं समझ कर सरसरी तौर पर बिना समुचित कारण अंकित किये प्रार्थना पत्र निरस्त करने में निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। जा0दी0 के प्रावधान में पक्षकारान के मध्य वास्तविक न्याय किये जाने की मंशा से प्रावधित किये गये है जो प्रक्रियात्मक है ना कि पक्षकारान को दण्डित किये जाने हेतु प्रावधित। विचारण न्यायालय द्वारा न्यायहित में आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत कार्यवाही को किसी भी स्तर पर न्याय के अग्रसरण के कार्य करने हेतु पक्षकारान को ट्रांसपोज किया जा सकता है। न्यायालय को पक्षकारान के मध्य वास्तविक न्याय प्रदान करने एवं वादों की बहुलता को रोकने के लिए ट्रांसपोज का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिये। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 में प्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट कर दिया था कि वादिया मु0 भूली का देहान्त हो चुका है तथा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5838/2004/टोंक** **देवलाल बनाम श्योनाथ**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादिया द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से वादग्रस्त भूमि पर मु0 भूली के समानहित रखने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को वादपत्र में बतौर वादीगण ट्रांसपोज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट किया था कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण व वादिया का वादग्रस्त भूमि में समान हित था तथा दावे में प्रार्थीगण को बतौर प्रतिवादी बनाये गये थे। जिन्होंने वादिया के वाद का समर्थन किया है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अविधिक तौर पर खारिज कर अनियमितता कारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को वादपत्र में प्रफोर्मा प्रतिवादी की हैसियत से ही पक्षकार बनाये गये थे तथा प्रार्थीगण ने वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का विरोध नहीं किया था। इस कारण प्रार्थीगण, प्रतिवादीगण व वादिया का वादग्रस्त भूमि में समान हित होने से ट्रांसपोज कराने के हकदार थे। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2004 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण को दावे में बतौर वादीगण ट्रांसपोज किया जावे। **उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 1983 ए0आई0आर0 पेज 676, 1992 ए0आई0आर0 431, 1998 ए0सी0जे0 पेज 493, 1993 एस0सी0सी0 पेज 507, 2005 ए0आई0आर0 पेज 161, 2007 आर0एल0डब्ल्यू0 पेज 982 के न्याय दृष्टान्त पेश किये गये।** 4– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया है कि आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 की निगरानी तो मण्डल में मेन्टेनेबल थी परन्तु जब वाद ही खारिज हो गया है तो धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सक्षम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील ही प्रस्तुत करनी होगी। वाद खारिज कर देने के कारण अब केवल अपील ही उपचार है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नया वाद भी लाया जा सकता है। धारा 52 टी.पी. एक्ट के अनुसार वादिया खुद विक्रय नहीं कर सकती है। वादग्रस्त आराजी की खातेदारी लेने हेतु न्यायालय में गयी है। जहाँ वाद खारिज कर दिया गया है तो सक्षम न्यायालय में धारा 96 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील ही करनी होगी। वाद तो अब समाप्त हो चुका है। यह वाद काफी पुराना है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5838/2004/टोंक** **देवलाल बनाम श्योनाथ**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अतः प्रार्थी की निगरानी पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जावे।

5– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन, मनन एवं परिशीलन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी मु0 भूली की ओर से विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर प्रतिवादी श्योनाथ वगैरह के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 39, 513, 514, 516, 517, 759 व 791 कुल किता 7 कुल रकबा 16 बीघा ग्राम खजूरिया में उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री चाही गयी। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दौराने वाद उक्त उनवानी प्रकरण में मु0 भूली की मृत्यु हो जाने पर प्रतिवादी सं0 5/1 ल0 5/4 व 6 ल0 7 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया। जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 16–11–2004 से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 को एवं वाद को भी अबैटमेन्ट के कारण खारिज कर दिया गया। उक्त आक्षेपित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

7– प्रस्तुत प्रकरण में वादिया द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से वादग्रस्त भूमि पर मु0 भूली के समानहित रखने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को वादपत्र में बतौर वादीगण ट्रांसपोज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट किया था कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण व वादिया का वादग्रस्त भूमि में समान हित था तथा दावे में प्रार्थीगण को बतौर प्रतिवादी बनाये गये थे। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 को खारिज किये जाने की निगरानी तो मण्डल में मेन्टेनेबल है परन्तु अबैटमेन्ट के कारण जब दावा ही खारिज हो गया है तो निगरानी के माध्यम से उसका निर्णय किरवाया जाना विधि अनुसार उचित नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर मु0 भूली के विधिक वारिसान के रूप

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5838/2004/टोंक** **देवलाल बनाम श्योनाथ**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को बतौर वादीगण ट्रांसपोज किया जाता है तो वाद कारण ही परिवर्तित हो जायेगा। प्रार्थी उपरोक्त संबंध में धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी होगी अथवा विधि में उपलब्ध अन्य विधिक उपचार तलाशना होगा। उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश से प्रार्थना पत्र विधिसम्मत् रूप से खारिज किया गया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी न्यायहित में पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते है।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी की निगरानी पोषणीयता के अभाव में **खारिज** की जाती है। निगरानीकर्ता उक्त आदेश से व्यथित है तो वह विधि में उपलब्ध अन्य उपचारों का प्रयोग करने हेतु स्वतंत्र है।

10– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य